**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या : 167**
**सोमवार, 2 फरवरी, 2026 (13 माघ 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर**

## एमआरओ सुविधा का विकास और विमानन विनिर्माण

**167. श्री एस. सेल्वागनबेथी:**
**डा. सुमेर सिंह सोलंकी:**
**श्री नारायण कोरागप्पा:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैदराबाद में नवम्बर 2025 में उद्घाटित सैफरान मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (एमआरओ) केंद्र का ब्यौरा क्या है और भारत के विमानन रखरखाव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इसका क्या महत्व है;

(ख) बेंगलुरु में एयर इंडिया की मेगा एमआरओ सुविधा सहित घरेलू एमआरओ सुविधाओं की स्थापना में क्या प्रगति हुई;

(ग) भारत के एमआरओ बाजार की अनुमानित वृद्धि कितनी है और भारत को क्षेत्रीय एमआरओ केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) बढ़ते एमआरओ क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करने हेतु की जा रही कौशल विकास संबंधी पहलों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

(क): हैदराबाद में उद्घाटित सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया (एसएईएसआई) सुविधा लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्सन (एलईएपी) इंजनों के लिए सफ्रान की समर्पित रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सुविधा है। इस सुविधा को वर्ष में 300 लीप इंजनों तक की सर्विस के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एमआरओ सुविधा घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करती है, उच्च-सटीक तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करती है और सहायक विक्रेताओं को बढ़ावा देती है।

(ख): प्राप्त जानकारी के अनुसार, एअर इंडिया और इंडिगो ने बैंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर नागरिक विमानों के लिए क्रमश: 1460 करोड़ रुपये और 1100 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश पर प्रमुख एमआरओ सुविधाओं का निर्माण शुरू कर दिया है।

(ग): एमआरओ उद्योग के वर्ष 2031 तक 8.9 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज करते हुए 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। सरकार ने देश में विमान एमआरओ क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें दिनांक 1 सितंबर, 2021 को घोषित नए एमआरओ दिशानिर्देश शामिल हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ रॉयल्टी को समाप्त करते हैं और एएआई हवाईअड्डों में एमआरओ के लिए भूमि आवंटन में पारदर्शिता और निश्चितता प्रदान करते हैं। कराधान के मामले में, घरेलू एयरोस्पेस उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार ने विमान पुर्जों और विमान इंजन उपकरणों के आयात पर करों (आईजीएसटी) को कम करके 5% तक कर

दिया है। एमआरओ पर जीएसटी को पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है और विदेशी ओईएम/एमआरओ द्वारा घरेलू एमआरओ को उप-अनुबंधित किए गए लेनदेन को जीरो-रेटेड जीएसटी के साथ 'निर्यात' के रूप में माना जाता है। टूल्स और टूल किटों पर भी सीमा शुल्क में छूट दी गई है।

इसके अलावा, मरम्मत के लिए आयातित माल के निर्यात की अवधि को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया है और वारंटी के तहत मरम्मत के लिए माल के पुन: आयात की समय-सीमा को तीन से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है। हाल ही में, भारत में एमआरओ सेवाओं के उद्देश्य से आने वाली अनुसूचित या गैर-अनुसूचित उड़ानों के विदेशी पायलटों और चालक दल को बिजनेस वीजा और टेंपरेरी लैंडिंग परमिट )टीएलपी( देने के लिए उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करने के लिए वीज़ा मैनुअल में संशोधन किया गया है।

)घ(: नागर विमानन महानिदेशालय ने विनियम, सीएआर-147 (बेसिक) - अनुमोदित बुनियादी रखरखाव प्रशिक्षण संगठन जारी किया है जो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं और ईएएसए विनियमन के अनुसार सुसंगत हैं। ये विनियम, विमान के रखरखाव के लिए सक्षम और कुशल कार्मिकों के विकास हेतु पाठ्यक्रम और कुशल प्रशिक्षण अपेक्षाओं को सुव्यवस्थित करते हैं। इन विनियमों में अपेक्षित है कि अनुमोदित विमान रखरखाव संगठन (एएमओ) द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण को भी एक भाग के रूप में इसमें शामिल किया जाए जो छात्रों की सक्षमता बढ़ाने के लिए एक जीवंत वातावरण, व्यावहारिक कार्य अनुभव प्रदान करे।

******